(136)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवाम0प्र0

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक

R 5201-II\17

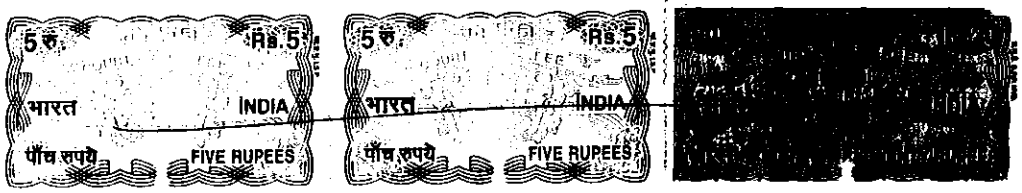

[redacted]

Rs-301—

मोतीलाल पिता विनायक प्रजापति उम्र वर्ष पेशा खेती,

निवासी ग्राम गोदवाली तहसील देवसर जिला सिगरौली म0प्र0

----- आवेदक/ निगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री नीरज द्विवेदी द्वारा पेश। 16.5.17

विरुद्ध

1- जमाहिर लाल पिता विनायक प्रजापति निवासी गोदवाली तहसील देवसर जिला सिगरौली म0प्र0

2- म0प्र0 शासन ----------- गैरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0

भूराजस्व संहिता सन 1959

विरुद्ध अन्तरिम आदेश 27-4-17

जिसके द्वारा विवादित भूमि नं0 1015/2/

2-020 है0 स्थित ग्राम गोदवाली के संबंध मे

लैखिक साक्ष्य हेतु अना01 को आदेश दियागया

है जिससे व्यथित होकर

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि आ0नं01015/2/ रकबा2-020 है0 स्थित ग्राम गोदवली जिला सिगरौली द्वारा आवेदक के पक्ष मे जो पैत्रिक भूमि है, तथा आपसी बटवारा मे

पत्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5201-II/17 5200–दो/2017 निगरानी जिला सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी तहसीलदार देवसर वृत्त वरगवॉ जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 173 अ–6–अ/2015–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27–4–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा तहसीलदार देवसर के अंतरिम आदेश दिनांक 27–4–17 का अवलोकन किया गया। तदनुसार अनावेदक ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया है कि ग्राम गोंदवाली की भूमि सर्वे नंबर 1015/2 का भूमिस्वामी आवेदक है । वर्ष 2004–05 में हलका पटवारी ने फर्जी प्रकरण कमांक 5 अ 19/03–04 में पारित आदेश दिनांक 4–10–04 डालकर आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज कर दी गई जबकि भूमि शासकीय है। तहसीलदार व्दारा दायरे को संज्ञान में लेने पर ज्ञात हुआ कि सरल कमांक 5 पर प्रकरण आवेदक के नाम दर्ज नहीं है । इन्हीं कारणों से तहसीलदार ने उनके न्यायालय में दायर प्रकरण कमांक 173 अ–6–अ/2015–16 प्रचलन–योग्य माना है एंव आवेदक की लेखी साक्ष्य के लिये पेशी नियत की है जहॉ आवेदक एंव अनावेदक दोंनों को ही पक्ष प्रस्तुत करने का एंव सुनवाई का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	